



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- cepwd.ukh@gmail.com

दिनांक 2/11/2022

पत्रांक 2961 /13सी.

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ, वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद- रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी
तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.005 हे. वन भूमि का गैर वानिकी
कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No.
FP/UK/ROAD/23612/2017)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
देहरादून का पत्र सं. 8 बी./यू.सी.पी./06/20/2018/ एफ.सी./1638 दिनांक
26-10-2020, आपका पत्रांक 2303/12-1 दिनांक 31-10-2022 एवं इस कार्यालय
का पत्रांक 606/13सी. दिनांक 04-03-2021।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के
नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन
आख्या इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई है, एवं पुनः आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.01 हे. गैर वानिकी भूमि ग्राम उनियाणा सिविल खसरा संख्या 973 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाइडलाईन पैरा 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जाना है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के आदेश सं. 2197/छब्बीस-6/2020-21 दिनांक 12-02-2021 द्वारा 8.01 हे. ग्राम-उनियाणा के खसरा संख्या 973 में सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। (आदेश की प्रति व खतौनी की नकल सलंगन है)।

	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जाना है।
	शुद्ध वर्तमान मूल्य— (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मन्त्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt-2) दिनांक 18-09-2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03-10-2006 एवं 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.005 है. वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एन.पी.वी. की धनराशि मूल्य रु 10436445.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। (NEFT/RTGS प्राप्ति रसीद दिनांक 06-02-2021 सलंगन हैं) एन.पी.वी. के दरों में बढोत्तरी से सम्बन्धित बचनवद्धता प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ सं. 92 में सलंगन हैं (पुनः सत्यापित छायाप्रति सलंगन कर प्रेषित है।)
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 197 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सक्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा समरंखण चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है की मोटर मार्ग निर्माण में न्यूनतम वृक्षों का पातन हो एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 197 Trees का वन विभाग द्वारा छपान के पश्चात वन निगम से कटान ऑफरोड दुलान हेतु प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुसार Transaction ID No. MI903422811211016 Date 24.11.2021 द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम कर्णप्रयाग को रु 1854404.00 का भुगतान कोषागार के माध्यम से उनके बैंक खाता सं. 4726002100000297 में जमा किया जा चुका है।
6	State Govt. will deposit the 5 times NPV of the 2.97 ha. as the Area falls in Sanctuary.	खण्ड द्वारा 2.97 है. आरक्षित वनभूमि का 5 गुना एन.पी.वी. की धनराशि (2.97 Ha X5=14.85Ha. X 6.57 lakh)= रु 9756450.00 का भुगतान वनविभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (आनलॉइन प्राप्ति रसीद सलंगन)
7	NBWL द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार बुरोंस एवं बॉज के पेड़ बड़े वृक्ष (40-50cm dia or more) नहीं काटे जायेंगे।	खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के दौरान NBWL की स्वीकृति के अनुसार बुरोंस एवं बॉज के बड़े वृक्ष (40-50cm dia or more) का पातन नहीं किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण	खण्ड द्वारा समस्त देयको जैसे (क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव व एन.पी.वी. की निर्धारित

	फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	धनराशि) का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी गोपेश्वर से आकलन एवं मॉग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) online चालान Generate होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ₹ 13137289.00 का पूर्ण भुगतान वनविभाग के पक्ष में जमा कर दिया गया है। (आनलाइन प्रति रसीद सलंगन है)
9	गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	खण्ड द्वारा गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार उल्लेखित कार्यों के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।
10	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	खण्ड द्वारा एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	खण्ड द्वारा आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।	खण्ड द्वारा वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	लागू नहीं है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	प्रयोजना अभिकरण द्वारा मजदूरों को राष्ट्रीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।	प्रयोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।
18	परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	खण्ड द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

	फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगें।	धनराशि) का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी गोपेश्वर से आकलन एवं मॉग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) online चालान Generate होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ₹ 13137289.00 का पूर्ण भुगतान वनविभाग के पक्ष में जमा कर दिया गया है। (आनॅलाईन प्रति रसीद सलंगन है)
9	गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	खण्ड द्वारा गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार उल्लेखित कार्यों के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।
10	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	खण्ड द्वारा एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	खण्ड द्वारा आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगें।	खण्ड द्वारा वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साइनेज लगाए जायेगें।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	लागू नहीं है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	प्रयोजना अभिकरण द्वारा मजदूरों को राष्ट्रीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।	प्रयोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।
18	परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	खण्ड द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वनभूमि का उपयोग खण्ड परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार फाइल सं. 11-42/2017-FC, दिनांक 29-01-2018 के अनुसार उक्त पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का खण्ड द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर लागू होने वाली निर्धारित शर्तों का खण्ड द्वारा अनुपालन किया जायेगा।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर लागू होने वाली निर्धारित शर्तों का खण्ड द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह आवश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वनविभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थलों में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	खण्ड द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में सलंगन Muck Disposal Plan के अनुसार ही किया जायेगा तथा निस्तारण स्थलों को वनविभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थलों में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना खण्ड की जिम्मेदारी होगी।
अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।	खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

- सलंगन:- 1- जिलाधिकारी के आदेश की प्रति 3 प्रतियों में।
 2- एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र 3 प्रति में।
 3- ऑनलाइन प्राप्त रसीद 3 प्रति में।

पत्रांक 2961/13सी.
 प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(इं. मनोज कुमार भट्ट)

अधिशारी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

दिनांक 2/11/2022

(Signature)

अधिशारी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
 ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)।

92
94

प्रपत्र-51

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसायी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०पी०वी० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसूत्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुखीमठ (रुद्रप्रयाग)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 11-01-2021

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6123612477
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/20/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(In Rs)	13137289/-

Amount in Words :One Crore Thirty-One Lakh Thirty-Seven Thousand Two Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896123612477 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

UTR

https://clearance.nic.in/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD236122017477

P.C. Attested

(Signature)

Assistant Engineer
Const. Div. P.W.D
Ukhimath (Rudraprayag)

State Bank of India
06 FEB 2021

STATE BANK OF INDIA
UKHIMATH-03
06 FEB 2021
PAID
PTN-

(Signature)
Executive Engineer
Const. Div. P.W.D
Ukhimath (Rudraprayag)

:: आदेश ::

319
13/04/2021

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 ऊखीमठ के द्वारा हस्तांतरित रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैर वैज्ञानिकी कार्यों हेतु वन विभाग को दोगुने भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या-2847111-2/05-79(प्रा0आ0/05(15) दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त प्रकरण पर तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी ऊखीमठ ने अपने पत्र संख्या-1395/र0का0-क्षति0वृ0/(2020-21) दिनांक 18 जनवरी, 2021 के द्वारा अवगत कराया है कि तलसारी तोक से गौण्डार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.005 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कालीमठ के अन्तर्गत राजस्व ग्राम उनियाणा की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 22 के खसरा सं0 973 रकवा 8.086 है0 मध्ये 8.010 है0, भूमि चयनित कर चयनित भूमि का नक्शा, खसरा वं खतौनी की नकल प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/ नामान्तरित किये जाने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

अतः शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कालीमठ के अन्तर्गत राजस्व ग्राम उनियाणा की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 22 के खसरा सं0 973 रकवा 8.086 है0 मध्ये 8.010 है0, चयनित भूमि उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग व प्रभाग, रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरामद करने के एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक-10-02-2021

ह0/-

(मनुज गोयल)

जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

मेहन
18/2/2021

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 2197 / छब्बीस-6 / 2020-21 / दिनांक: रुद्रप्रयाग: फरवरी, 12 2021

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 2- सचिव राजस्व विभाग अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 5- आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
 - 6- उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
 - 7- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को उक्तानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
 - 8- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, ऊखीमठ।

OC. Attended

Signature


Assistant Engineer
Const. Div. I. W. D.

अपर, जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रपत्र-8

परियोजना का नाम— जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र 1:50,000



अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जनपद रुद्रप्रयाग
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकारी

उप वन संचालक
प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक
ऊखीमठ

तहसीलदार
ऊखीमठ
ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
ऊखीमठ

जनपद रुद्रप्रयाग


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

1	प्रस्तावित मोटर मार्ग	
2	वैकल्पिक संरेखण	
3	मुख्य मोटर मार्ग	
4	आरक्षित वन भूमि	
5	पंचायती वन भूमि	शून्य
6	राज्य भूमि	
7	नाप भूमि	
8	आबादी क्षेत्र	
9	नदी एवं नाला	

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जोड़करे से म जपपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



Scale - 1: 15,000


79°11'0"E

79°10'30"E

79°10'0"E

79°9'30"E

79°11'30"E



ID	Longitude	Latitude
1	79° 9' 17.574" E	30° 35' 24.607" N
2	79° 9' 20.787" E	30° 35' 29.262" N
3	79° 9' 25.525" E	30° 35' 32.993" N
4	79° 9' 31.484" E	30° 35' 34.283" N
5	79° 9' 35.036" E	30° 35' 39.461" N
6	79° 9' 33.908" E	30° 35' 45.600" N
7	79° 9' 33.695" E	30° 35' 51.864" N
8	79° 9' 38.051" E	30° 35' 55.755" N
9	79° 9' 40.975" E	30° 36' 1.161" N
10	79° 9' 45.155" E	30° 36' 5.339" N
11	79° 9' 49.619" E	30° 36' 1.039" N
12	79° 9' 54.046" E	30° 35' 56.603" N
13	79° 9' 59.950" E	30° 35' 54.219" N
14	79° 10' 6.098" E	30° 35' 54.524" N
15	79° 10' 10.530" E	30° 35' 56.244" N
16	79° 10' 15.772" E	30° 36' 4.507" N
17	79° 10' 12.968" E	30° 35' 57.240" N
18	79° 10' 15.764" E	30° 35' 59.647" N
19	79° 10' 19.108" E	30° 36' 4.728" N
20	79° 10' 20.073" E	30° 36' 8.175" N
21	79° 10' 25.988" E	30° 36' 8.570" N
22	79° 10' 31.722" E	30° 36' 9.087" N
23	79° 10' 37.587" E	30° 36' 7.756" N
24	79° 10' 42.664" E	30° 36' 8.664" N
25	79° 10' 48.837" E	30° 36' 11.869" N
26	79° 10' 53.279" E	30° 36' 16.344" N
27	79° 10' 59.039" E	30° 36' 19.019" N

Muck Disposal	
A	79° 9' 17.870" E 30° 35' 25.690" N
B	79° 9' 35.330" E 30° 35' 40.310" N
C	79° 9' 33.920" E 30° 35' 53.070" N
D	79° 10' 18.030" E 30° 36' 3.090" N
E	79° 10' 44.648" E 30° 36' 8.730" N

जि.आ.ए.के.सी.
क.प्र.मा.ग.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
कसीमत (रुद्रप्रयाग)

रा.म.वा.वा.
कसीमत

रा.म.वा.वा.अ.स.वा.नि.म.
रा.म.वा.वा.अ.स.वा.नि.म.
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.मा.ग.



उपनिर्माणकारी
कसीमत

कसीमत (रुद्रप्रयाग)

Legend

- Muck Disposal
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

डिजिटल मैप - जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



- Legend**
- Muck Disposal
 - Proposed Road
 - Alternate Road
 - Existing Road
 - Reserve Forest
 - Reserve Forest Boundary
 - Forest Range Boundary

सहस्रमुखी प्रभियक्ता
निर्माण खण्ड लौ० नि० वि०
अञ्जीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपनिवेशिकारी
उप जिलाधिकारी
अञ्जीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रकाशी प्रवक्ताधिकारी
गौश्वर (मन्तली)

रा० उ० नि०
के० वि० म०

वसुदेव प्रभियक्ता
अञ्जीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

हिलीगढा
तहसीलदार
अञ्जीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

उप प्रभु सिंह ठाकुर
(सोपनर)

फाहर

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग